

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/6

लागू तिथि 19.4.2013

बिल्हौर-उत्तरीपुरा स्टेशन के मध्य स्थित इंजी० गेट संख्या 61/C, 63/C एवं बिल्हौर स्थित यातायात समपार 66/सी को समाप्त करने के सम्बन्ध में बिल्हौर स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जत/6 दिनांक 02.9.2011 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 5.02.2013

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 3 व 4 पैरा 2.6 एवं 4.1 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 9 पैरा 4.4 एवं 5 संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 10 पैरा 6 (ii) का (घ) संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 6.1.1 संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 12 पैरा 6.2 का (घ) एवं 6.3 का (घ) संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 13 पैरा 6.5 का (ख) संशोधित
8. पृष्ठ संख्या 14 पैरा 6(2) (घ) संशोधित
9. पृष्ठ संख्या 15 पैरा 6 (3) (ग) संशोधित
10. पृष्ठ संख्या 16 पैरा 6.9 (घ) जोड़कर संशोधित
11. पृष्ठ संख्या 16 एवं 17 पैरा 7.1 जोड़कर संशोधित
12. पृष्ठ संख्या 19 पैरा 8.4.2 संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'क' गेट संख्या 58/C पृष्ठ संख्या 3, 5, 6 व 10 से फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
2. परिशिष्ट 'क-I' गेट संख्या 59/C पृष्ठ संख्या 5, 6, 9 से फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
3. परिशिष्ट 'क-II' गेट संख्या 60/C पृष्ठ संख्या 1, 3, 5, 6, 10 से फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
4. परिशिष्ट 'क-III' गेट संख्या 61/C का परिशिष्ट समाप्त किया गया
5. परिशिष्ट 'क-III' गेट सं. 62/C पृ०सं० 1, 3, 5, 6, 9 परिशिष्ट सं० बदलकर एवं फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
6. परिशिष्ट 'क-V' गेट संख्या 63/C का परिशिष्ट समाप्त किया गया
7. परिशिष्ट 'क-IV' गेट सं. 64/C पृ.सं 1, 3, 5, 6, 10 परिशिष्ट सं० बदलकर एवं फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
8. परिशिष्ट 'क-VII' गेट संख्या 66/C का परिशिष्ट समाप्त किया गया
9. परिशिष्ट 'क-V' गेट सं. 67/C पृ.सं. 1, 3, 5, 6, 9 परिशिष्ट सं० बदलकर एवं फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
10. परिशिष्ट 'क-VI' गेट सं. 68/C पृ.सं. 1, 3, 5, 6, 7, 11 में चेतावनी घंटी का संदर्भ जोड़कर तथा फ्यूजी का संदर्भ हटाकर संशोधित
11. **परिशिष्ट 'ख'**
 1. पृष्ठ संख्या 1 मद संख्या 1
 2. पृष्ठ संख्या 5 मद संख्या 4.3.5 संशोधित
 4. पृष्ठ संख्या 6 मद संख्या 4.3.11 (क) एवं (ख) संशोधित
 5. पृष्ठ संख्या 13 मद संख्या 10 संशोधित
 6. पृष्ठ संख्या 14, 15, 16 मद संख्या 11 एवं 11.1 में समपार संख्या संशोधित
 7. पृष्ठ संख्या 18 मद संख्या 12 का 7 संशोधित
 8. पृष्ठ संख्या 20 मद संख्या 12.1 का 13 (ड़) संशोधित
 9. पृष्ठ संख्या 25 मद संख्या 13 का 3 (स) संशोधित
 10. आर०डी० संख्या 39 दिनांक 29.11.2007 को आर०डी० संख्या 39 दिनांक 29.11.2007 Alt " A " दिनांक 02.2013 द्वारा बदला गया

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/इज्जतनगर

पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मण्डल

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक
संख्या-इज्जतनगर/6

सम्मिलित है।

बिल्हौर स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि 2.9.2011
लागू तिथि 17.11.2011
पुनरीक्षण तिथि Sept-16

बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, पैनल अन्तर्पाशित, मानक-III,
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों सहित

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

- टिप्पणी :**
1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/6 दिनांक 8.11.2005 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।
 2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी०एस०टी०ई०गोरखपुर की एस०आई०पी०संख्या NER/IZN/BLU/SIP/2005/VER-ZERO Alt.:G: पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 39 दिनांक 29.11.2007 Alt ‘A’ दिनांक 02.2013 संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

बिल्हौर स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल- कासगंज मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर “बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल से 55.13 किलोमीटर तथा कासगंज जं० से 191.93 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है

2.2. दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

अरौल मकनपुर (पूर्व दिशा में) : 10.06 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

उत्तरीपुरा (पश्चिम दिशा में) : 11.67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(i) **आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :-** इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(ii) **बाहरी साइडिंगें :-** कोई नहीं ।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(iii) **हाल्ट स्टेशन :-**

(क). बकोठी खास हाल्ट, बिल्हौर - अरौलमकनपुर के मध्य इस स्टेशन से 5.56 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(ख) धौर सालार हाल्ट, बिल्हौर - उत्तरीपुरा के मध्य इस स्टेशन से 6.92 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.3. **स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :**

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है।
बिल्हौर - अरौलमकनपुर	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (बिल्हौर)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (अरौल मकनपुर)
बिल्हौर - उत्तरीपुरा	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (बिल्हौर)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (उत्तरीपुरा)

2.4 **ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :**

(क) अरौलमकनपुर की ओर चैनेज़ सं० 333 से चैनेज़ सं० 866 तक 500 में 1 का ढलान उसके आगे चैनेज़ सं० 1266 तक 400 में 1 का ढलान तथा उसके आगे चैनेज़ सं० 1866 तक 600 में 1 का ढलान है।

(ख) उत्तरीपुरा की ओर चैनेज़ सं० 146 से चैनेज़ सं० 521 तक 800 में 1 का ढलान, उसके आगे चैनेज़ सं० 735 तक 500 में 1 का ढलान और चैनेज़ संख्या 1200 से आगे 600 में 1 का ढलान है।

2.5 **अभिन्यास (ले-आउट) :**

अभिन्यास 3 लाइनो का है। लाइन संख्या 1, 2 एवम 3 परिचालित लाइने है।

2.5.1. **परिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सीएसआर)	टिप्पणी
लाइन संख्या-1	686 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन संख्या-2	686 मीटर	मेन लाइन
लाइन संख्या -3	686 मीटर	लूप लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2. **अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :**

कोई नहीं

2.5.3 **अभिन्यास (ले-आउट) में असामान्य बातें :** कुछ नहीं।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.6. **समपार फाटक :**

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पा-शित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक :							
64	बी	डाउन शंट सिगगल सं० 25 तथा कौटा सं० 203B के मध्य	सड़क यातायात के लिये खुला।	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
67	सी	अप अग्रिम प्रस्थान सिगगल सं० 2 तथा होम सिगनल एस-1के मध्य	सड़क यातायात के लिये बन्द	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इंजीनियरिंग समपार फाटक :							
58	सी	बिल्हौर-उत्तरीपुरा के मध्य किमी० 49/2-3 पर	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
59	सी	बिल्हौर-उत्तरीपुरा के मध्य किमी० 50/7-8 पर	सड़क यातायात के लिये बन्द	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
60	सी	बिल्हौर-उत्तरीपुरा के मध्य किमी० 51/3-4 पर	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
62	सी	बिल्हौर-उत्तरीपुरा के मध्य किमी० 52/11-12 पर	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	नहीं	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक
संचालन नियम संख्या इज्जत/6

सम्मिलित है।

बिल्हौर

68	स्पेशल	बिल्हौर -अरौल मकनपुर के मध्य किमी० 55/14- 15 पर	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	कार्यरत स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	है
----	--------	--	------------------------------	---------------------	----	--	----

ii) समपार फाटकों के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेश के लिये परिशिष्ट 'क' से 'क-VI' देखें।

3. संचालन की पद्धति एवं साधन :

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनो अरोलमकनपुर तथा उत्तरीपुरा से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त पुश बटन टाइप टोकनलैस विद्युत ब्लाक यन्त्र एक्सल काउन्टर के साथ उत्तरीपुरा तथा अरोलमकनपुर स्टेशनो से अलग-अलग सम्बद्ध।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(विशेष रूप से सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.07, 14.08(ख) 14.10, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रो को संचालित करता है।

(विशेष रूप से सहायक नियम 14.02 (v) एवं साधारण तथा सहायक नियम 14.04 एवं 14.12(1) देखें)

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :

4.1 विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार :

बिल्हौर स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा देखें।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/इज्जतनगर

प्रदत्त सिगनल :**(क) अप आगमन सिगनल (उत्तरीपुरा से)**

- (1) अप डिस्टेन्ट सिगनल - होम सिगनल संख्या एस-12 के संकेतों पर आधारित
 (2) जंक्शन इंडिकेटर सहित अप होम सिगनल एस-12 के संकेत निम्न हैं -
 (i) लाइन संख्या 1 के लिये दौयी ओर जंक्शन इंडिकेटर के साथ
 (ii) लाइन संख्या 2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित
 (iii) लाइन संख्या 3 के लिये बाँयी ओर जंक्शन इंडिकेटर के साथ

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (अरौल मकनपुर को)

- i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-4 मेन लाइन संख्या-2 के लिये
 ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-6 लूप लाइन संख्या-1 के लिये
 iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-8 लूप लाइन संख्या-3 के लिये
 iv) अप अग्रिम प्रस्थान कम गेट डिस्टेन्ट सिगनल (68/Spl) संख्या-एस-2 अरौल मकनपुर छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की “ट्रेन गोइंग टू” स्थिति द्वारा नियन्त्रित

(क) डाउन आगमन सिगनल (अरौल मकनपुर से)

- (1) डाउन डिस्टेन्ट कम गेट सिगनल (68/Spl) सं० 2 - होम सिगनल संख्या एस-1 के संकेतों पर आधारित
 (2) जंक्शन इंडिकेटर सहित डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के संकेत निम्न हैं -
 (i) लाइन संख्या 1 के लिये बाँयी ओर जंक्शन इंडिकेटर के साथ
 (ii) लाइन संख्या 2 के लिये जंक्शन इंडिकेटर रहित
 (iii) लाइन संख्या 3 के लिये दौयी ओर जंक्शन इंडिकेटर के साथ

(ख) डाउन प्रस्थान सिगनल (उत्तरीपुरा को)

- i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-5 मेन लाइन संख्या-2 के लिये
 ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-7 लूप लाइन संख्या-1 के लिये
 iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-9 लूप लाइन संख्या-3 के लिये
 iv) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या-एस-11 उत्तरीपुरा छोर के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र की “ट्रेन गोइंग टू” स्थिति द्वारा नियन्त्रित

अतिरिक्त सिगनल :**(i) कालिंग आन सिगनल :**

कालिंग आन सिगनल संख्या	विवरण
अप कालिंग आन सिगनल सं० सी 10	यह अप होम सिगनल सं० एस 12 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह उत्तरीपुरा साइड से लाइन सं० 1/2/3 में आने के लिए है।
डाउन कालिंग आन सिगनल सं० सी 3	यह डाउन होम सिगनल सं० एस 1 के नीचे उसी खम्भे पर लगा है। यह अरौलमकनपुर साइड से लाइन सं० 1/2/3 में आने के लिए है।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ii) शंट सिगनल :

(क) आश्रित शंट सिगनल		
शंट सिगनल सं०	किस सिगनल के नीचे स्थित है	विवरण
एस एच 24	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4	लाइन सं० 2 से अरोलमकनपुर छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 25	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5	लाइन सं० 2 से उत्तरीपुरा छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 26	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6	लाइन सं० 1 से अरोलमकनपुर छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 27	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7	लाइन सं० 1 से उत्तरीपुरा छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 28	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8	लाइन सं० 3 से अरोलमकनपुर छोर पर अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक शंटिंग के लिये ।
एस एच 29	डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9	लाइन सं० 3 से उत्तरीपुरा छोर पर डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक शंटिंग के लिये ।

(ख) अनाश्रित शंट सिगनल

शंट सिगनल संख्या	विवरण
एस एच 31	अरोलमकनपुर छोर से लाइन सं० 1,2 तथा 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु ।
एस एच 32	उत्तरीपुरा छोर से लाइन सं० 1, 2 एवं 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।

पुरनावर्तक (रिपीटर) : कोई नहीं ।

4.1.1(क) **स्टेशन मास्टर पैनल** :- सभी कॉटों एवं सिगनल एक केन्द्रीय स्थान से पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं । यह स्टेशन मास्टर के कक्ष में स्थित है। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कॉटों एवं सिगनलों सहित स्टेशन मास्टर के नियंत्रण पैनल पर दिया गया है। कॉटों एवं सिगनलों के प्रचालन हेतु पुश बटन प्रदत्त है।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(ग) दोनो ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पॉइंट में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये हैं। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पॉइंट में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ अपसारी मार्ग (डाइवर्जिंग रुट) इंगित करेगीं।

(घ) स्टेशन मास्टर, कॉटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर की नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज़ लाक को पाशित करती है, के द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से कॉटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी० जी० एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(इ) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के 'हरे' आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान सिगनल के 'पीले' आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है।

(च) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

4.1.1 काँटा पुश बटन :-

पैनल के दोनों सिरों पर काँटों के संचालन के लिये प्रत्येक काँटों के लिये उसका पुश बटन दिया गया है। काँटे को नार्मल स्थिति में करने के लिये उस काँटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू० एन० (NWWN) पुश बटन तथा रिवर्स स्थिति में करने के लिये काँटे के बटन के साथ आर०डब्लू० डब्लू०एन० (RWWN) पुश बटन दबाना होगा। काँटों का अलग-अलग संचालन केवल गाड़ी को कालिंग आन सिगनल पर रिसीव करने के समय ही किया जायेगा।

4.1.3 ट्रैक सर्किट :-

परिचालित लाइन संख्या 1, एवं 2 ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप होम सिगनल से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे ५ रेल की लम्बाई तक दोनों ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (आक्यूपाई) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल और सफेद प्रकाश के रूप में दिया हुआ है।

4.1.4 पुश बटन रिमाइन्डर कालर :-

पुश बटन रिमाइन्डर कालर पैनल के एक स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल या काँटा या रूट बटन के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रचलन को रोकना हो तो इन कालरों को पुश बटनों के ऊपर लगा देना चाहिए। ऐसा करने से पुश बटनों को दबाया नहीं जा सकेगा।

4.1.5 सिगनल बटन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है, जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है, उस सिगनल का सिगनल बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भेजना है, उस लाइन के रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.1.5.1 रूट बटन :-

पैनल पर जिन लाइनों के लिये सिगनल आफ किया जाना है, उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटनों का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा। (स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिये विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखें)

4.1.6 स्थायी रूप से ताला बन्द काँटों/पृथक्करण (आइसोलेशन) : कोई नहीं।

4.1.6.1 मेन लाइन का आइसोलेशन (प्रथक्करण) :-

(i) क्रास ओरवर काँटों 201A-201B, 202A-202B नार्मल स्थिति में मेन लाइन को अरोलमकनपुर छोर पर आइसोलेट करते हैं।

(ii) क्रास ओरवर काँटों 203A-203B, 204A- 204B नार्मल स्थिति में मेन लाइन को उत्तरीपुरा छोर पर आइसोलेट करते हैं।

4.1.7. विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैन्क हैण्डल :

(क) परिचालित लाइनों पर प्रदत्त काँटा संख्या—201A-201B, 202A-202B, 203A-203B, 204A एवं 204B मोटर चालित काँटों हैं तथा प्रत्येक काँटों पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। मोटर काँटों के विफल होने पर कार्यरत काँटावाला द्वारा साधारण नियम 3.69(iii) का अनुपालन करते हुए काँटों को क्लैम्प पैडलाक करेगा। काँटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग का उत्तरदायित्व कार्यरत स्टेशन मास्टर का है।

(एम०पी०सिंह)

(जवाहर राम)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

क्रेन्क हैण्डिल एवं कॉटों का विवरण :-

क्रेन्क हैण्डिल संख्या	क्रेन्क हैण्डिल द्वारा नियन्त्रित कॉटों की संख्या
सी०एच०-1	201A-201B (ARL Side)
सी०एच०-2	202A-202B (ARL Side)
सी०एच०-3	203A-203B (UTP Side)
सी०एच०-4	203A-203B (UTP Side)

स्टेशन मास्टर द्वारा क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी निकालने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है :-

1. स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी का YN एवं GBN बटन एक साथ दबायें।
 2. विद्युत कॉटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूर्ण होती हैं तो पैनल पर क्रेन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी। तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी को धुमाकर निकाल लें।
 3. परिशिष्ट 'ख' में वर्णित विधि से कॉटों का संचालन किया जाय तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रेन्क हैण्डिल चाबी को पुनः क्रेन्क हैण्डिल लाक में लगाकर पूर्ववत स्थिति में धुमा दिया जाय।
 4. स्टेशन मास्टर द्वारा नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी का एल०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबाने पर क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी लाक हो जायेगी तथा क्रेन्क हैण्डिल के एल०एन० बटन के ऊपर क्रेन्क हैण्डिल नियन्त्रक चाबी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।
- (ख) ऐसी परिस्थिति में स्टेशन गैर-अन्तर्पाशित समझा जायेगा। प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रेन्क हैण्डिल विद्युत कॉटा मशीन द्वारा परिचालित कॉटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम सं०	क्रेन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रेन्क हैण्डिल चाबी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रेन्क हैण्डिल चाबी निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रेन्क हैण्डिल चाबी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रेन्क हैण्डिल चाबी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.2 **रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.3 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर इंटिग्रेटेड पावर सप्लाई की व्यवस्था की गयी है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ख' में देखें।

4.4 **वीडर काउन्टर :-**

स्टेशन मास्टर पैनल पर निम्नलिखित पाँच वीडर काउन्टर दिये गये हैं जो पैनल द्वारा सम्बन्धित संचालन के पश्चात एक अंक बढ़ जाते हैं :-

- (i) आपात कालीन रूट रिलीज़ वीडर काउन्टर (ई०यू०यू०वाई०एन०) (EUUYN)
- (ii) आपात कालीन रूट कैन्सीलेशन वीडर काउन्टर (ई०यू००वाई०एन०) (EUYN)
- (iii) कालिंग आन सिगनल वीडर काउन्टर
- (iv) सिगनल को आफ से आन करने के लिये वीडर काउन्टर (ई०जी०जी०एन०) (EGGN)
- (v) क्रेन्क हैण्डल वीडर काउन्टर
- (vi). टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र वीडर काउन्टर (दोनों दिशाओं के लिये अलग-अलग)
- (vii). एक्सिसल काउन्टर वीडर काउन्टर (दोनों दिशाओं के लिये अलग-अलग)

जब सम्बन्धित स्विच को जिसके लिये ये वीडर काउन्टर प्रदत्त है, का प्रयोग किया जाता है, तब प्रत्येक बार एक उच्च डिजिटल संख्या वीडर काउन्टर पर उभरती है। प्रत्येक बार जब क्रेन्क हैण्डल का प्रयोग किया जाय तो वीडर काउन्टर में दर्ज संख्या को इस उद्देश्य से अनुरक्षित पंजिका में अंकित किया जाय एवं कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन का कार्य भार का आदान-प्रदान करते समय वीडर काउन्टर की वास्तविक संख्या एवं वीडर काउन्टर रजिस्टर की प्रविष्टियाँ समान / अद्यतन सुनिश्चित की जाय।

5. **दूर संचार :-** स्टेशन मास्टर के कार्यालय निम्नलिखित के साथ टेलीफोन प्रदत्त हैं :-

- i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्धित कन्ट्रोल टेलीफोन
- ii) स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- iii) अरौलमकनपुर स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक उपकरण से सम्बन्धित साइड टेलीफोन
- iv) उत्तरीपुरा स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक उपकरण से सम्बन्धित साइड टेलीफोन
- v) ट्रैफिक समपार फाटक सं० 64/बी, 67/सी, के साथ टेलीफोन
- vi) इंजी० समपार फाटक सं० 58/सी, 59/सी, 60/सी, 62/सी, (BLU-UTP) के साथ टेलीफोन
- vii) इंजी० समपार फाटक सं० 68/सी, (BLU-ARL के मध्य) के साथ टेलीफोन
- viii) वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 10A देखें)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/6

बिल्हौर

6. **गाड़ी संचालन की कार्य प्रणाली :**

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) **गाड़ियों का आगमन :**

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन कराना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

(क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक सर्किट आक्यूपेन्सी बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।

(ख) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन होना है, साफ एवं बाधा रहित है। लाइन निम्न दूरी तक साफ होनी चाहिए :-

(i) **अप गाड़ियों के लिए :**

1. लाइन सं० 1 एवं 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 2 तक।
2. लाइन सं. 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 2 तक।

(ii) **डाउन गाड़ियों के लिए :**

1. लाइन संख्या 1 एवं 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।
2. लाइन संख्या .2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 तक।

(ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।

(घ) सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी लाइन सं० 1 या 2 या 3 पर लेते समय गेट संख्या 64/B को बन्द कर दिया गया है और क्रमशः गेट नियन्त्रण बटन संख्या 552 एवं 551 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे गेट बन्द का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा।

इसी प्रकार डाउन गाड़ी लाइन सं० 1 या 2 या 3 पर लेते समय गेट संख्या 64/B को बन्द कर दिया गया है और क्रमशः गेट नियन्त्रण बटन संख्या 551 एवं 552 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। इससे गेट बन्द का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा।

(ङ) आनेवाली गाड़ी के लिये वाँछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।

(च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।

(छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितिया जल जायेंगी।

(ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल 'आन' स्थिति में हो गये हैं।
- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बल्लियां बुझकर लाल बल्लियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बल्लियां बुझ जाती हैं और सफेद बल्लियां फिर जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(ब्लॉक लाइन के विरुद्ध कांटों को सेट करने के लिये साधारण एवं सहायक नियम 5.19 देखिये)

नोट :- ऐक्सिल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जानी वाली कार्यवाही के लिये परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित विधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, कौटावाला एवं गेटमैन के कर्तव्यों का विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1. प्रत्येक पाली में गाड़ी परिचालन कर्मचारी :

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	03	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौंध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	-	03	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेन्स सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर स्टेशन पैनल पर प्रदर्शित ट्रैक सर्किट के संकेतों को देखकर गाड़ी के आगमन-प्रस्थान के लिये होम सिगनलों के अन्दर परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। ट्रैक सर्किट की विफलता तथा बल्बों के फ्यूज़ होने की स्थिति में लाइनो का क्लीयरेन्स ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन के व्यक्तिगत सत्यापन द्वारा किया जायेगा तथा कांटों को क्लैम्प एवं पैडलाक किया जायेगा।

(साधारण नियम 3.38(ग), 3.39(i)(ii), 3.40(3), 8.03 देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे। (सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली का अध्याय 3 देखें)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा०)/इज्जतनगर

6.2. लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिग्नल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिग्नल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ियों के मामले में समपार फाटक सं० 58/सी, 59/सी, 60/सी, 62/सी के फाटक वालों को तथा डाउन गाड़ियों के मामले में समपार फाटक सं० 67/सी, एवं 68/सी के फाटक वाले को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित निर्देशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।
(साधा० एवं सहा०नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) (ii) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :- कोई नहीं।

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध काँटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

इस स्टेशन पर कोई बिना सिग्नल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

कुछ नहीं।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना
कोई नहीं।

6.3 आगमन सिग्नलो को "आफ" करने की शर्तें :

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध हो।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख एवं अनुमुख काँटों वाँछित लाइन के लिये सेट और पाशित हो
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख काँटों के आगे गाड़ी के सम्मुख पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिग्नल तक साफ हो।
- (घ) सुनिश्चित करें कि अप अथवा डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1 या 2 या 3 पर लेते समय गेट सं० 64/बी को बन्द एवं लाक कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 552 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर इंडिकेशन दिखाई देगा।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग्नल एवं दूरसंचार/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.3.1 “आफ” किये गये सिगनल को पुनः “आन” करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रासिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

(क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ आगमन / क्रासिंग की अनुमति निम्न प्रकार है।

(i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या

अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या

अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान

(iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और

अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान

(iv) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और

अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान

(ख) इस स्टेशन पर गाड़ियों के ब्रेक वान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग की अनुमति है।
(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

(क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है

(ख) रुकने वाली अप गाड़ियों के मामले में यातायात समपार 64/बी पर कार्यरत गेटमैन गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राईवेट नं० के साथ देगा तथा स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन इसे अपने-अपने लॉग रजिस्टर में लिखेंगे। गाड़ी अपूर्ण आने की स्थिति में तथा डाउन गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी का पूर्ण आगमन ट्रेन इनटेक्ट रजिस्टर टी/1410 पर गार्ड से रिकार्ड करायेगा। गाड़ी के गार्ड से टी/1410 पर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मिल जाने पर स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लोज करेगा। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4-17 देखें)

(ग) गाड़ी के पूर्ण आगमन के बाद कौटों सिगनलों तथा समपार फाटकों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6(2) **गाड़ियों का प्रस्थान :**

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से टोकनलैस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि आक्यूपाइड भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक सर्किट आक्युपैन्सी बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) अप गाड़ी के प्रस्थान के सम्बन्ध में यातायात गेट संख्या 67/सी के लिए तथा डाउन गाड़ी प्रस्थान के लिये यातायात गेट सं० 64/B का सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द होना सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 552 को लाकड स्थिति में दबा दिया गया है,। गेट बन्द होने का संकेत पैनल पर दिखायी देगा।
डाउन गाड़ियों के मामले में इंजी० गेट सं० 58/सी, 59/सी, 60/सी, 62/सी के फाटक वालों को तथा अप गाड़ियों के मामले में इंजी० गेट सं० 68/स्पेशल के फाटक वाले को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित निर्देशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।
- (ङ.) पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल रिलीज लाक में लगाकर घुमायें ताकि पैनल संचालन स्थिति में आ जाये ।
- (च) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (ज) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितिया जल जायेगी।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बलती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये स्पष्ट दो-दोघटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
- (ट) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बलितियां बुझकर लाल बलितियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बलितियां बुझ जाती हैं और सफेद बलितियां फिर से जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ड) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज़ होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

प्रस्थान सिगनल "आफ" करने की शर्तें : सुनिश्चित करें कि -

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिस को गाड़ी भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 दिनांक

सम्मिलित है।

संचालन नियम संख्या इज्जत/6

बिल्हौर

- (ग) डाउन गाड़ी के मामले में ट्रैफिक गेट सं० 64/बी का सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द होना सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन 552 लाकड स्थिति दबायें। गेट बन्द होने का संकेत पैनल पर दिखायी देगा।

डाउन गाड़ियों के मामले में इंजी० समपार फाटक सं० 58/सी, 59/सी, 60/सी, 62/सी के फाटक वालों को तथा अप गाड़ियों के मामले में इंजी० समपार फाटक सं० 67/सी, एवं 68/स्पेशल के फाटक वाले को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में उल्लिखित निर्देशानुसार सूचित न कर दिया गया हो।

- (घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित मार्ग का क्लीयर संकेत उपलब्ध हो।

6.6.1 सतर्कता आदेश (काशन आर्डर T- 409) जारी करना :

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरो जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना :

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों को सामान्यतया परिचालित लाइन संख्या 2 से बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। अग्रिम प्रस्था सिगनल का आफ संकेत मिलना ही चालक के लिये प्रस्थान प्राधिकार है।
- (ख) यदि यह आवश्यक हो कि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 या 3 से बिना रुके सीधे जाये तो नियमानुसार प्रतिबन्धित गति से इसकी अनुमति दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में स्टार्टर सिगनल ऑफ आस्पैक्ट तभी ग्रहण करेंगे जब गाड़ी बर्थिंग ट्रैक पर आ जायेगी।
- (ग) स्टेशन से होकर सीधे जाने वाली गाड़ी को जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बन्धित लाइनों पर सभी प्रकार की शंटिंग अवश्य बन्द कर दी जाय और साधारण तथा सहायक नियम 5.23 के अनुसार बराबर लाइनों पर किसी भी वाहन / वैगन जो बिना इंजन के हों या इंजन से अलग हों, वे सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित होने चाहियें।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को "आगे बढ़ो" संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी कू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचालन की चौकसी की जानी चाहिये। इस प्रकार के संकेत को स्टेशन कर्मचारी द्वारा ट्रेन कू को रात में हरी बत्ती तथा दिन में हरी झन्डी दिखाकर सुनिश्चित किया जाये। (सहायक नियम 5.01(5) (i) से (vi) देखें)
- (ङ) जब यात्री गाड़ी बिना प्लेटफार्म वाली लाइन पर खड़ी हो तो प्लेटफार्म वाली लाइन से कोई गाड़ी सीधे नहीं जायेगी। साधारण नियम 5.01 (14) (iv), 4.10, साधा० एवं सहा० नियम 4.11 और सहा० नियम 5.01(5) देखें)

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39(i)(ii) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्पष्ट किया जाता है कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(b) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट / पोजीशन लाइट होने के कारण दिन-रात अनवरत प्रकाशित होते हैं। स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये। परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित निर्देशों देखें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जाये।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

7. लाइन अवरूद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरूद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरूद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरूद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरोध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
- 7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:- जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरूद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चैन से बाँध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।
 - (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रोक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रोक खड़ा हो, तो हर रोक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रोक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

- (ii) नये प्रकार के बोगी रकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खाड़ा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनों पर खाड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्कोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्कोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

टिप्पणी :

1. बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खाड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
 - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।
2. जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियाँ उपयोगी रहेंगी :-
 - (क) जब अकेले रोलर बीयरिंग लगेहुए स्टॉक की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संगठन गति प्रति घन्टा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (ख) जब रोलर बीयरिंग लगे हुए एक साथ जोड़े में पाँच वाहनो की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संगठन गति प्रति घन्टा 2.4 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिए। साधारण एवं सहायक 5.23 मे निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें ।

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
 - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
 - ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 - iii) जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो ।
 - iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय ।

(ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग :**

निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों।
- iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- iv) चालक को शन्टिंग आदेश के साथ - साथ सम्बन्धित शंटिंग चाभी भी दी जानी चाहिये ।

8.2. **आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग :** (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है ।
- (ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-
- i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- ii) सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
- iii) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय ।

8.3. **जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :**

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- ii) सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- iii) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय।

नोट :- सिगनलो के आन अथवा आफ आस्पैक्ट को पैनल पर देखकर सुनिश्चित किया जायेगा।

अप तथा डाउन शंटिंग चाबियों स्टेशन मास्टर कार्यालय में एक अलग-अलग 'ई' प्रकार के ताले और लीवर लाक एसेम्बली में लाक रहती है। इन शंटिंग चाबियों को जिनकी आवश्यकता अग्रिम प्रस्थान सिगनल एवं विपरीत होम सिगनल के मध्य शंटिंग करने के लिये होती है, 'ई' प्रकार के लाक से तभी निकाला जा सकता है जब सम्बन्धित टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र "लाइन क्लोज्ड" अथवा "ट्रेन गोइंग टू;" स्थिति में हो। रिलीज़ होने पर इन चाबियों को शंटिंग प्राधिकार के रूप में चालक को दिया जाय। विवरण के लिये परिशिष्ट 'ख' देखें।

8.4.1. **शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :**

कोई नहीं

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :

- (क) अरोलमकनुपर की ओर होम सिगनल तक शंटिंग के दौरान ट्रैफिक गेट संख्या 67/C तथा उत्तरीपुरा की ओर गेट संख्या 64/B का बन्द होना शंटिंग प्रभारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ख) शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-
1. शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
 2. सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
 3. शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
 4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
 5. शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखाना
(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :

कोई नहीं

8.6. बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि :- कोई नहीं :

9. असामान्य परिस्थितियाँ :

(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

1. ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- 2.(क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा वी०एच०एफ० सैट से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

- 2.(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-
- वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।
 - लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
 - जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने / देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
 - वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया / दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)
3. यदि कोई मोटर चालित काँटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या काँटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी काँटे पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।
- (ख) कैन्क हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-
परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की सुनिश्चित की जायेगी।
- (ग) काँटों, ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :
परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की सुनिश्चित की जायेगी।
- 9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :
- (1) संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-
साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -
- ब्लाक उपकरण, ट्रेक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
 - ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
 - एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
 - स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन (यदि उपलब्ध है) एवं बी०एस०एन०एल०फोन
 - नियन्त्रण दूरभाष ,
 - वी० एच० एफ० सेट

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(2). इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमे निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वचालित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षरत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602 अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।
----	---	---

टिप्पणी :

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख कॉर्ने के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीअर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीअर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।

9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेशक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) प्रायः स्टेशन पर उपलब्ध व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते हैं।
- (ख) जब मुख्य आपूर्ति उपलब्ध नहीं रहेगी तब इस उद्देश्य से लगे आई०पी०एस० उपकरण द्वारा स्वतः विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। यदि स्टेशन मास्टर कक्ष में प्रदत्त आई०पी०एस० स्थिति सूचक पैनल पर एलार्म बजता है तथा लाल बत्ती जलने लगती है तो एलार्म बन्द करने के लिये **ACK/Reset** पुश बटन दबायें तथा जनरेटर स्टार्ट करें। यदि आई०पी०एस० सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो एलार्म तभी बन्द होगा जब जनरेटर चला दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में सिगनल एवं दूरसंचार कर्मचारी को सिस्टम ठीक करने के लिये सूचित किया जायेगा। (आई०पी०एस० सिस्टम के विस्तृत निर्देश हेतु परिशिष्ट “ख” देखें)
- (ग) जब जनरेटर सेट चलाना हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर जनरेटर पैनल पर प्रदत्त प्रचालन पुश बटन को दबाकर अथवा हैण्डल के माध्यम से डीजल जनरेटर चालू करवायेंगे। जब जनरेटर चालू होता है, यह चेन्ज ओवर स्विच के द्वारा प्रकाश पद्धति से सम्बद्ध किया जाता है।
- (घ) जब जनरेटर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे।
- (ङ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में 4 घंटे से अधिक नहीं चलाना चाहिये। यद्यपि चेतावनी हूटर इस संकेत के लिये लगा हुआ है कि जनरेटर 4 घंटा चल चुका है। फिर भी कार्यरत स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।
- (च) डीजल जनरेटर के 4 घंटे चल लेने के उपरान्त 1 घंटा विश्राम के लिये रोक देना चाहिये जिसके बाद उसे आवश्यकतानुसार पुनः 4 घंटा चलाया जा सकता है। यदि जनरेटर चलाने की आवश्यकता जारी रहती है तो जनरेटर को 4 घंटे चलाकर एक घंटा विश्राम देने का चक्र रखा जा सकता है।
- (छ) इस उद्देश्य के लिये स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगे जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन मास्टर द्वारा अंकित की जायेगी।
- (ज) कार्यरत स्टेशन मास्टर प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचालन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लागू बुक में करेंगे। कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्न प्रारूप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ ही साथ रखेंगे।

प्रारूप

1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनित्र प्रचालन :

क्रम संख्या	दिनांक	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
		विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे	

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी

टिप्पणी :- तत्काल सन्दर्भ के लिये उक्त अनुच्छेदों के सुसंगत साधारण एवं सहायक नियम की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। सन्दर्भित नियम सम्पूर्ण नहीं है। अतः सभी साधारण एवं सहायक नियम अथवा अथवा समय-समय पर प्रशासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों एवं निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जाय।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :(क) अप छोर :

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 3 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(ख) डाउन छोर :

दिन एवं रात्रि में लाइन संख्या 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-6 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें ।12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फॉग सिगनलमैनो के नाम :

कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी ।

13. परिशिष्टों की सूची :

परिशिष्ट "क"	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट "ख"	संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति
परिशिष्ट "ग"	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट "घ"	गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट "ङ"	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट "च"	डी०के०स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट "छ"	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जवाहर राम)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ कुछ नहीं ”

(जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रॉस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेंगे।
- (घ). कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

1. यार्ड, काँटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।

(जवाहर राम)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2

2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारो का देना तथा प्राप्त करना।
3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
5. सभी सिगनल प्रचालनो का नियन्त्रण।
6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत काँटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशो का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत काँटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये काँटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशो का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना।
2. काँटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में काँटों को सेट एवं लाक करना।
3. विफलता की स्थिति में सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधो से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
6. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों को पायलट करना।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो के अनुसार फाग सिगनल लगाना

(जवाहर राम)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

3

8. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।

9. कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर, गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
10. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-
 - i) सिगनल, कॉटों, क्रासिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
11. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
12. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :- विफलता की स्थिति मे जब कॉटों, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते हों, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशो का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत फाटक वाला के कर्तव्य:-

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये विस्तृत अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

(जवाहर राम)
मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती | - 04 बैट्री आपरेटेड
- 04 के० आयल |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी | - 04 हरी तथा 6 लाल |
| 3. | पटाखा सिगनल | - 50 |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे | - 04 तालो सहित |
| 5. | क्लैम्प | - 06 तालो सहित |
| 6. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स | - 01 |
| 7. | फायर बकेट | - 06 |
| 8. | अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप | - 01 |

(जवाहर राम)

मंडल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ कुछ नहीं ”

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ कुछ नहीं ”

जवाहर राम)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर